यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौडी** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सुश्री सरूनी शर्मा, व.ले.प, श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.10.2018 से 09.11.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एफ.आर.खान व.ले.प. श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव व श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.09.17 से 20.09.17 तक श्री के.एल.भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 01/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 01/2016 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/17 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पौड़ी, पैठाणी, पूर्वी अमेली, पश्चमी अमेली, पोखड़ा, दीवा एवं लीसा डीपो कोट्द्वार
3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	281.85
2016-17	221.53
2017-18	395.30

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	1021.82	1021.82	113.47	113.47	-	-
2016-17	-	-	1094.99	1094.99	323.38	323.38	-	-
2017-18	-	-	1004.19	1004.19	538.24	538.24	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2017-18	इन्टेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट	-	8.80	8.80	

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौडी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौडी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: लीसा, बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनो का संरक्षण (सामान्य एवं पूंजीगत) व मानव वन्य जीव संघर्ष का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....कोई नहीं..... के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 "अ"</u>

<u>प्रस्तर-</u> 1<u>:</u> वन-निगम द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने से राजस्व क्षति ` 72.78 लाख ।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तो से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

इसी पत्र के बिन्दु संख्या 31(2) के अनुसार शंकुधारी प्रजातियों के लौटों के अलावा अन्य प्रजातियों के लौट के लिये निगम के लिये किश्तों की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:
(क) लौट के मूल्य का एक तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह मार्च
(ख) लौट के मूल्य का दूसरा तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह जून
(ग) लौट के मूल्य का बकाया: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह सितंबर

बिन्दु संख्या 31 (3क)(अ) के अनुसार चीड़ की लौट के संबंध मे किश्तों का भुगतान भी उक्त नियमानुसार ही किया जायेगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग के लॉट आवंटन से सम्बन्धी पंजिका व उपलब्ध कराई गयी सूचना की लेखापरीक्षा जाँच मे निम्न बिन्दु प्रकाश मे आये:
(A) वर्ष 2016-17 में कार्यालय के विभिन्न पत्रों/आदेशों द्वारा वन विकास निगम, पौड़ी को 18 लौट जो कि विकास कार्य से संबन्धित थे, का आवंटन किया गया था। वन विकास निगम द्वारा इन लौटों के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान वर्ष 2017 के माह मार्च, जून व सितंबर मे उपरोक्त वर्णित नियम के अंतर्गत करना था।

आवंटित लाटों का वृक्षवार आयतन का निर्धारित रॉयल्टी दर (वर्ष 2016-17) से आंगणन करने पर पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा कुल ₹ 19,99,080/- की रॉयल्टी देय थी (**विवरण संलग्नक-I**)। आगे अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा प्रभाग को रॉयल्टी का कोई भुगतान नहीं किया था।

(B) वर्ष 2017-18 में कार्यालय के विभिन्न पत्रों/आदेशों द्वारा वन विकास निगम, पौड़ी को 14 लौट जो कि विकास कार्य से संबन्धित थे, का आवंटन किया गया था। वन विकास निगम द्वारा इन लौटों के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान वर्ष 2018 के माह मार्च, जून व सितंबर मे उपरोक्त वर्णित नियम के अंतर्गत करना था।

लाट आवंटन/आंगणन पंजिका की जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा कुल ₹ 52,78,810/- की रॉयल्टी देय थी (**विवरण संलग्नक-II**)। परन्तु, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी का कोई भुगतान नहीं किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर मे कहा गया कि निगम द्वारा कोई रॉयल्टी जमा नहीं करायी गयी है एवं न ही इन लाटों से संबन्धित भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी का विवरण उपलब्ध कराया गया है। वन विकास निगम द्वारा उनके

स्थायी आदेश संख्या 3830/13-1/विकास कार्य/रॉयल्टी दिनाँक 14.09.2016 के आधार पर विकास कार्य लाटों का रॉयल्टी भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में निगम के उक्त आदेश में वर्णित आदेशों (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No. 5-1/2007/FC दिनाँक 11.12.2008 एवं F.No. 5-1/98-FC/पीटी-II दिनाँक 29.03.2005 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के पत्रांक 783/1-42 दिनाँक 07.09.2016) का अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ कि इन आदेशों में विकास कार्यों हेतु आवंटित लाटों के सम्बंध में रॉयल्टी भुगतान न किये जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आदेशों के अनुसार वन विकास निगम को विकास कार्य के लाटों के निस्तारण हेतु समस्त भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि नियमित लाटों के अपेक्षाकृत निगम को विकास कार्य लाटों में अधिक लाभ हो रहा है। परन्तु, निगम द्वारा विभाग को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि लाट आवंटन, वृक्षों का छपान, आयतन आंगणन एवं रॉयल्टी आंगणन आदि की पूर्ण प्रक्रिया विभाग द्वारा की जा रही है ।

इस प्रकार विभाग द्वारा मात्र निगम के आदेश के आलोक में रॉयल्टी ` **72,77,890/-** (`**19,99,080**+`**52,78,810**) की वसूली नहीं की गयी थी।

अतः वन विकास निगम से रॉयल्टी ` **72,77,890/-** वसूल न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-95 वर्ष 2018-19

राजस्व लेखापरीक्षा

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 2 :प्रबन्ध योजना अनुसार कार्य न करने से लीसा मद में राजस्व हानि ₹ 49.68 लाख ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग की प्रबन्ध योजना वर्ष 2011-12 से 2020-21 के अनुसार लीसा फसल के लिये चयनित प्रस्तावित क्षेत्रफल सकल 21666.50 हे॰ एवं शुद्ध 17194.05 हे॰ निर्धारित था जिसमे प्रभाग द्वारा लीसा विदोहन का कार्य किया जाना था। प्रभाग की 06 रेंजों में कुल 104500 लीसा घावों पर प्रतिवर्ष कार्य किया जाना था जिसमे सिविल एवं पंचायती वनों के क्षेत्र अतिरिक्त रूप से थे या सम्मिलित नहीं किये गये थे ।

प्रभाग के लीसा उत्पादन से संबन्धित अभिलेखों एवं प्रगति विवरण के अनुसार लीसा फसल वर्ष 2017 में लीसा उत्पादन हेतु आरक्षित वन में 82950 घाव एवं पंचायती वन में 18200 घाव बनाये गये जिनसे क्रमश: 4.35 कुंतल प्रति सैंकड़ा घाव की दर से 3613.10 कुंतल तथा 4.56 कुंतल प्रति सैंकड़ा घाव की दर से 831.51 कुंतल (कुल 4444.61 कुंतल) लीसा उत्पादन किया गया था।

जाँच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा प्रबन्ध योजना के विपरीत आरक्षित वन क्षेत्र में केवल 82950 घाव ही बनाये गये थे जिनपर लीसा उत्पादन का कार्य किया गया। इस प्रकार प्रभाग द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में 21550 (104500-82950) घाव कम बनाये गये जिससे 4.35 कुंतल प्रति सैंकड़ा घाव की दर से 937.425 कुंतल लीसा का कम उत्पादन हुआ। प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लीसा का औसत मूल्य ₹ 5300/- प्रति कुंतल था। इस प्रकार 937.425 कुंतल कम उत्पादन किये जाने से विभाग ₹ 49,68,352.50/- (937.425 कुं॰*₹ 5300/कुंतल) की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि आपत्तिगत 21550 चीड़ वृक्ष चट्टानी क्षेत्र में स्थित थे जिस कारण लीसा विदोहन का कार्य नहीं किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबंध योजना के अनुसार निर्धारित घावों पर कार्य नहीं किया गया जिससे लीसा का कम उत्पादन होने से ₹ 49,68,352.50/- राजस्व प्राप्ति नहीं हो सकी।

अतः ₹ 49.68 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 "ब"</u>

<u>प्रस्तर-</u> 01 <u>:</u>नियमानुसार लीज रेन्ट न वसूल किये जाने से राजस्व हानि ` 13.89 लाख।

शासनादेश संख्या-6450/14-3-930/77 दिनाँक 02 जुलाई 1979 मे उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि पर स्वीकृत की जाने वाली लीजों के समस्त मामलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम के बराबर धनराशि का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिए जाने का प्रावधान है। उक्त शासनादेश मे प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आरम्भ में लीज धारक को वन भूमि का मूल्य व प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः लीज रेंट के रूप में वन भूमि के मूल्य का भुगतान करना होता है।
शासनादेश संख्या: 156/7-1-2005-500(826)/2002 दिनाँक 09.09.2005 व शासनादेश संख्या: 85/7(व.भू.ह.)-1-2007-700(1994)/2007 दिनाँक 21.09.2007 के बिन्दु संख्या 3.2.5 (नयी लीजों से संबन्धित) के अनुसार विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि पर प्रस्तावित लीजों के लिए, जिसमे जल विद्युत परियोजनाएं एवं विद्युत पारेषण लाइन्स का निर्माण सम्मिलित है, वन भूमि का प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिए जाने का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग में लीज से संबन्धित पत्रावलियों की नमूना जाँच में पाया गया कि संलग्न विवरण अनुसार 03 लीजधारकों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु वन भूमि लीज पर स्वीकृत की गयी थी। क्रम संख्या-1 पर वर्णित लीज धारक द्वारा नियमानुसार लीज स्वीकृति की तिथि से 10 वर्ष उपरान्त वन भूमि के मूल्य के बराबर लीज रेन्ट ₹ 11,40,000/- जमा कराया जाना था जिसके जमा कराये जाने का प्रमाण पत्रावली/पंजिका पर उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार क्रम संख्या 01 पर वर्णित लीजधारक से ₹ 11,40,000/- लीज रेन्ट के रूप में वसूल किया जाना था।
इसी प्रकार क्रम संख्या 2 व 3 पर वर्णित लीजधारकों द्वारा भी नियमानुसार लीज स्वीकृति से वर्ष 2018 तक 1% ऑफ प्रीमियम की दर से क्रमश: ₹ 91,762/- व ₹ 1,56,750/- वार्षिक लीज रेन्ट जमा कराया जाना था जिसके जमा किये जाने के प्रमाण पत्रावलियों व पंजिका में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार इन 03 लीजधारकों से ₹ 13,88,512/- लीज रेन्ट के रूप मे वसूल किया जाना था जिसकी वसूली हेतु प्रभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि लीज धारकों से पत्राचार कर कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः लीज रेन्ट न वसूले जाने से राजस्व क्षति **₹** 13,88,512/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-2 :मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि में बजट उपलब्ध न कराये जाने से लम्बित भुगतान ` 118.39 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2228/X-2/2012-19(37)/2003, देहरादून दिनाँक 10.12.2012 द्वारा प्रख्यापित मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ` **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा। अधिसूचना के बिन्दु 9(1)(एक) के अनुसार वन्य जीवों द्वारा मारे जाने पर पीड़ित व्यक्ति/संबन्धित आश्रित को घटना की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 30% धनराशि अग्रिम रूप में पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को जान माल की क्षति की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी। अवशेष धनराशि जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी। अधिसूचना के बिन्दु 9(2)(तीन) के अनुसार वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी को मारे जाने की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष मे आंकलित कुल देय धनराशि का 20% धनराशि अग्रिम के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अन्त मे मानव क्षति (घायल) के 05 एवं पशु क्षति के 729 (कुल 734) प्रकरण लंबित थे जिनके सापेक्ष क्रमश: ` **0.95** लाख व ` **117.44** लाख **(कुल ₹118.39 लाख)** का भुगतान लेखापरीक्षा तिथि (11/2018) तक लम्बित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि मानव क्षति के प्रकरणों में संबंधितों द्वारा मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है एवं केवल 01 प्रकरण में आंकलित धनराशि का 30% अग्रिम रूप में वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रभाग द्वारा यह भी कहा गया कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, देहरादून द्वारा पत्र संख्या नि.1025/3-6(ii) दिनाँक 01/12/2017 द्वारा निर्देश दिया गया था कि हस्तांतरित धनराशि के सापेक्ष सर्वप्रथम मानव क्षति में केवल मृत्यु/घायल के प्रकरणों में ही अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाये। जिस कारण पशु क्षति के 729 प्रकरणों में भुगतान नहीं हो पाया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमावली के बिन्दु 9(1)(तीन) एवं (चार) के अनुसार संबन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अंतिम जाँच रिपोर्ट घटना के 15 दिन के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जानी है। इसके अतिरिक्त प्रभाग के पास दिनाँक 31.03.2018 को ₹ 1018949/- ही अनुरक्षित थे जो कि नियमावली की शर्तों के अनुसार नहीं है।

अतः अंतिम जाँच रिपोर्ट समय से उपलब्ध न कराये जाने तथा मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण ` 118.39 लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 3 : लेंटाना घास उन्मूलन पर ₹ 18.50 लाख का अलाभकारी व्यय ।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिये उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक बजट उपलब्ध कराया जाता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन-प्रभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि प्रभाग को वर्ष 2015-16 में ₹ 14.00 लाख तथा वर्ष 2017-18 में ₹ 4.50 लाख प्राप्त हुआ था जबकि वर्ष 2016-17 में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2015-16 में प्राप्त धनराशि को 04 रेंजों में तथा वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि को 06 रेंजों में वितरित कर व्यय किया गया था। आगे जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में जिन बीटों में लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया गया था उन बीटों में वर्ष 2016-17 में धनराशि प्राप्त न होने के कारण उन्मूलन का कार्य नहीं हो सका। साथ ही वर्ष 2017-18 में लेंटाना उन्मूलन हेतु प्राप्त धनराशि का व्यय वर्ष 2015-16 में किये गये बीटों में न कर पृथक बीटों में किया गया था।

इस प्रकार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक लेंटाना उन्मूलन पर किया गया व्यय ₹ 18.50 लाख अलाभकारी रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में लेंटाना उन्मूलन हेतु प्राप्त धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 4 :अग्रिम मृदा कार्य किये बिना पौधरोपण पर अधोमानक व्यय ` 2.32 लाख ।

वृक्षारोपण संहिता, वन-विभाग, उत्तर प्रदेश द्वितीय पुनरीक्षण जून 2016 के बिन्दु 2.2.20 (वृक्षारोपण कार्य का समय) के अनुसार वृक्षारोपण कार्य की सफलता के लिए समय से अग्रिम मृदा कार्य किया जाना अति महत्वपूर्ण होता है। यह आवश्यक है कि अग्रिम मृदा कार्य माह मार्च तक तथा वर्षा ऋतु समाप्त होने के कम से कम 15 दिन पूर्व (31 अगस्त तक) ही वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिए जाएँ जिससे पौध की वृद्धि के लिये वर्षा का अनुकूल समय मिल सके। बिन्दु 1.4.3 (आगामी वर्षों में रोपण हेतु बड़े आकार की पौध) के अनुसार रोपण क्षेत्र में कुछ प्रजातियाँ जो धीमी गति से बढ़ती हैं अथवा उन्हे ऊंचे आकार की बनाने के लिये दो या तीन वर्षों तक पौधशाला में पिंडी पौध के रूप में रखना पड़ता है, को तैयार करना आवश्यक होता है।

कार्यालय वन-संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा स्वीकृत दर सूची के अनुसार रोपण हेतु पौध तैयार करने मे दो वर्षों मे ` 8.00/- का व्यय आता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वृक्षारोपण से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2017 बहूद्देशीय वृक्षारोपण, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैट प्लान एवं माजरा महादेव योजना के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य कर क्रमश: 131500, 121170, 8150 तथा 652 (कुल 261472) गड्ढों को तैयार किया गया था जिन पर वर्ष 2017-18 में वृक्षारोपण किया जाना था। इनके सापेक्ष 3,69,017 पौधे रोपित किये गये। परन्तु, जाँच में पाया गया कि बहूद्देशीय वृक्षारोपण के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य न कराते हुये 6000 अतिरिक्त पौध (कुल 137500 पौध) का रोपण कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त वृहद वृक्षारोपण के अन्तर्गत 22980 पौध का रोपण भी बिना अग्रिम मृदा कार्य कराये ही किया गया था। इस प्रकार 28980 (6000+22980) पौधों का रोपण बिना अग्रिम मृदा कार्य किये जाने से ` 231840/- (28980*8/पौध) का अधोमानक पौधरोपण का कार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि बिना अग्रिम मृदा कार्य किये पौधरोपण नहीं किया जा सकता है। प्रभाग द्वारा कहा गया कि वृहद वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत 10 जुलाई 2017 को लक्ष्य प्राप्त होने एवं लक्ष्य प्राप्ति का दबाव होने के कारण कार्य कराया गया था।

अतः अधोमानक कार्य का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 5 : लीसा उत्पादन में आल-इन-कॉस्ट से अधिक व्यय ₹ 1.46 लाख ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग के लीसा सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय के पत्रांक 1194/10-2 दिनाँक 28.10.2017 के अनुसार वर्ष 2017 लीसा फसल की संशोधित आल-इन-कॉस्ट में सेटिंग-अप एवं खाली टिनों के क्रय की दर निम्नानुसार निर्धारित की गयी थी:

सेटिंग-अप पर व्यय - ₹ 125/कुंतल लीसा उत्पादन

खाली टिनों का क्रय - ₹ 240/कुंतल लीसा उत्पादन

संशोधित आल-इन-कॉस्ट में लीसा उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित 101105 घावों पर लीसा उत्पादन 4046 कुंतल के आधार पर सेटिंग-अप पर व्यय प्रति कुंतल लीसा पर ₹ 125/ की दर से ₹ 5,05,750/- तथा खाली टिनों के क्रय पर व्यय प्रति कुंतल ₹ 240/- की दर से ₹ 9,71,040/- निर्धारित किया गया था।

जाँच में पाया गया कि लीसा फसल वर्ष 2017 (वित्तीय वर्ष 2017-18) में वास्तविक लीसा उत्पादन 4444.61 कुंतल हुआ तथा प्रभाग द्वारा धनराशि का भुगतान निम्नवत किया गया था:

मद का नाम	भुगतान की गयी राशि (₹)	आल-इन-कॉस्ट के अनुसार लीसा उत्पादन (4444.61 कुंतल) पर व्यय (₹)	अन्तर (₹)
सेटिंग-अप (₹125/कुंतल की दर से)	647000.00	555576.00 (4444.61X125)	91424.00
खाली टिनों का क्रय (₹240/कुंतल की दर से)	1121000.00	1066706.00 (4444.61X240)	54294.00
योग			**1,45,718.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रभाग द्वारा सेटिंग-अप एवं खाली टिनों के क्रय पर आल-इन-कॉस्ट से ₹ 1,45,718/- अधिक व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि सेटिंग-अप एवं खाली टिनों के क्रय पर व्यय का भविष्य में संज्ञान लिया जायेगा। प्रभाग का ओवर ऑल ऑल-इन-कास्ट कम ही है।

अतः आल-इन-कॉस्ट से अधिक व्यय का का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
19/2003-04	-	04	
33/2004-05	-	01,02,03,04	
56/2005-06	01,03	01,02,03	
05/2007-08	01,02	01	
16/2011-12	-	01,02	
78/2013-14	-	01	
188/15-16	-	01	
77/2017-18	01,02	01,02,03,04,05,06	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोतम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताए: शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0		नाम	पदनाम
1	श्री	लक्ष्मण सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र